

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 131 / 2012

दर्ज दिनांक:-20.06.2012

1. हुकमसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. बनैसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रभारानी गुप्ता

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी वाद ग्रस्त आरजी की अपील लिखित खातेदार है। प्रतिवादीगण विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3 भरतपुर में फौजदारी प्रकरण सं. 13 / 2008 दर्ज हुआ था। जिसमें प्रतिगण बैनसिंह व नथ्रो को दोषी माना गया। इस प्रकार वादी के दावा के कथन पूर्ण रूपेण प्रभावी है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी के रकवा में कब्जे काथत में मदाखलत मजाहमत नही करें। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

